<u>*प्रेसविज्ञप्ति*</u>

<u>*सराहनीयकार्यजनपदएटा*</u>

<u>*एटा – थाना मारहरा पुलिस द्वारा छेड़छाड व मारपीट कर घायल कर देने की घटना में वांछित अभियुक्त अवधेश घटना में प्रयुक्त बल्लम सहित गिरफ्तार*</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना मारहरा पुलिस द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0- 305/2020 धारा 323, 324, 504, 506 भादंवि* में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटनाः- दिनाँक 31/12/2020 को वादी राजेश कुमार पुत्र रामनिवास निवासी समोखरथाना मारहरा द्वारा थाना मारहरा पर इस आशय की सूचना दी गयी कि वादी के भाई अवधेश ने वादी तथा वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की तथा वादी की पत्नी के बल्लम मारकर उसको घायल कर दिया।इस सूचना पर थाना मारहरा पर *मु0अ0सं0- 305/2020 धारा 323, 324, 504, 506 भादंवि* पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारीः- दिनांक 01/01/2021 को थाना मारहरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में वांछित चल रहे आरोपी अवधेश पुत्र रामनिवास निवासी समोखर मारहरा जिला एटा को समोखर में मंदिर के पास से बल्लम सहित गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारहरा पर *मु0अ0सं0-01/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम* पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारअभियुक्त का नाम पताः-

1. अवधेश पुत्र रामनिवास निवासी समोखर मारहरा एटा।

थाना कोतवाली मारहरा-एटा